न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—157 / 2017 / 225 (2017 / 00157)

1. मोहनसिंह पुत्र उदा,
2. बन्नासिंह पुत्र उदा,
3. प्रतापसिंह पुत्र रामसिंह,
4. माधूसिंह पुत्र भादा,
5. नारायण सिंह पुत्र रामसिंह,
6. लालसिंह पुत्र कूंपसिंह,
7. हीरासिंह पुत्र काना,
8. हेमसिंह पुत्र उदा,
9. हरसिंह पुत्र उदा,

समस्त जाति रावत, निवासी रोहिड़ाखेड़ा कोटड़ा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

10. मोहनलाल पुत्र बिरदीचन्द,
11. अमरचन्द पुत्र देवीलाल,
12. भोला पुत्र देवीलाल,
13. श्रीमती शांति बेवा भंवरलाल,
14. बंशीलाल पुत्र गोपीलाल,
15. बाबूलाल पुत्र गोपीलाल,
16. कालूराम पुत्र गोपीलाल,
17. सम्पत राम पुत्र गोपीलाल,
18. अशोक कुमार पुत्र मानाराम,
19. भैरूलाल पुत्र मानाराम,

समस्त जाति जांगिड़ ब्राह्मण, निवासी रोहिड़ाखेड़ा कोटड़ा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. नारायण सिंह पुत्र डूंगा,
2. कालूसिंह पुत्र डूंगा,
3. लेखसिंह पुत्र डूंगा,
4. नैनी देवी पत्नि डूंगा,
5. टीकू पुत्र अन्ना,
6. श्रीमती मीरा पत्नि टीकू,
7. पप्पूसिंह पुत्र टीकू,
8. श्रीमती प्यारी पत्नि हिम्मतसिंह,
9. रविन्द्रसिंह पुत्र हिम्मतसिंह,
10. श्रीमती बसंती पुत्री हिम्मतसिंह
11. श्रीमती निर्मला पुत्री हिम्मतसिंह,

समस्त जाति रावत, निवासी रोहिड़ाखेड़ा कोटड़ा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

12. चन्द्रप्रकाश यादव, हाल थानाधिकारी पुलिस थाना जवाजा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर दिनांक 18.5.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 16/2017.

उपस्थितः–

1. श्री दिलीप सिंह राठौड़, वकील अपीलांटस ।
2. श्री ईश्वर देवड़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 11.
3. रेस्पो0 संख्या 12 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 13.

निर्णय

दिनांकः– 31.8.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के आदेश दिनांक 18.5.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याा0 के समक्ष प्रतिवादीगण/रेस्पो0 एवं राज्य सरकार के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीांटस की खातेदारी की आराजियात मौजा ग्राम रोहिड़ाखेड़ा तहसील ब्यावर, जिला अजमेर में खसरा नंबर 498 से 500, 502, 503, 507 से 509, 514, 554 से 556, 558, 559, 528 से 531, 549, 551, 533/1, 533/2, 534, 535/1, 544 स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है जिस पर प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से यानि 60–70 वर्षो से भी अधिक समय से काश्त करते चले आ रहे है । प्रार्थीगण की कब्जे की आराजियात को संलग्न नक्शें में लाल रंग से दर्शाया गया है । उपरोक्त भूमियों के दक्षिण में ही अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 495, 494, 493, 492 अवस्थित है एवं आराजी खसरा नंबर 496 सरकारी आराजी है, आराजी खसरा संख्या 496 के पश्चिम में ग्राम रोहिड़ाखेड़ा की आबादी स्थित है जिससे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण व गांव के निवासीयान के मकानात बने हुए है । आराजी खसरा नंबर 497, 498, 501 के दक्षिण में एवं खसरा नंबर 495, 494, 493, 492 के मध्य एक पाली पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाव लेती हुई आ रही है । प्रार्थीगण अरसे दराज से अपने पूर्वजों के समय से आबादी की आराजी से होकर उक्त अंकित पाली के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम एक रास्ता लगभग 10 फुट चौड़ा खसरा नंबर 496, 495, 494, 493, 492 के उत्तरी भाग पर विद्यमान है जिसे संलग्न नक्शे में लाल रंग से ए, बी, सी व डी दर्शाया गया है । इस रास्ते से प्रार्थीगण के जानवर, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर आदि आज जा रहे है किन्तु राजस्व अभिलेख में रास्ता तरमीम नहीं है । इस कारण उसे राजस्व अभिलेख में रास्ता तरमीम किया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की आराजियात में आने जाने हेतु आराजी खसरा संख्या 495, 494, 493, 492 व 496 के उत्तरी भाग में स्थित 20 फिट रास्ता जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से ए, बी, सी व डी दर्शाया गया है, उसे किसी तरह से बंद नहीं करे ना ही उसे निर्माण आदि करके अवरूद्ध या बंद ही करे तथा उसे रास्ते के रूप में कायम रखा जावे तथा राजस्व मानचित्र में भी उसे रास्ते के रूप में तरमीम करवाया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 18.5.2017 को पारित कर प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0

के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर गौर नहीं किया कि तहसीलदार ने जो मौका रिपोर्ट दिनांक 18.5.2017 को तैयार की है वह ग्राम पंचायत किशनपुरा राजस्व कैम्प में तैयार की और रिपोर्ट तैयार करते समय प्रार्थीगण को तलब नहीं किया गया और प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में रिपोर्ट तैयार की जबकि तहसीलदार को स्वंय मौके पर जाकर जांच कर रिपोर्ट तैयार कर भिजवानी चाहिये थी । अधी0न्याया0 ने तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि प्रार्थीगण को मौका रिपोर्ट में दर्शाये गये रास्ते के अलावा उसकी खातेदारी की भूमि पर आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है इस कारण अधी0न्याया0 को धारा 251–ए के प्रावधानों का विवेचन करते हुए प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर जाने के लिए रास्ता स्वीकृत करने का आदेश प्रदान करना चाहिये था । अपीलांटस रास्ते के लिये स्वीकृत की जाने वाली भूमि का डी0एल0सी0 रेट से भुगतान अप्रार्थीगण को करने के लिये तैयार था क्योंकि प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा और अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है । बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस की खातेदारी आराजियात जिस पर प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त है । प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजियात के दक्षिण में ही अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 495, 494, 403 व 492 अवस्थित है एवं आरजाी खसरा नंबर 496 सरकारी है। आराजी खससरा नबर 496 के पश्चित में ग्राम रोहिडाखेड़ा की आबादी स्थित है, जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मकानात व गांव के निवासीयों के मकान बने हुए है । आराजी खसरा संख्या 497, 498, 501 के दक्षिण में एवं खसरा नंबर 495, 494, 493 व 492 के मध्य एक पाली पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाव लेती हुई आ रही है । प्रार्थीगण अरसे दराज से अपने पूर्वजों के समय से आबादी की आराजी से होकर उक्त अंकित पाली के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम एक रास्ता लगभग 10 फुट चौड़ा खसरा नंबर 496, 495, 494, 493 व 492 के उत्तरी भाग पर विद्यमान है जिसे संलग्न नक्शे में लाल रंग से ए, बी, सी व डी दर्शाया गया है । इस रास्ते से प्रार्थीगण के जानवर, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर आदि आज–जा रहे है किन्तु राजस्व अभिलेखों में रास्ता तरमीम नहीं होने से से रास्ता तरमीम किया जाना आवश्यक था । रेस्पोडेंटस अपीलांटस से रंजिश रखने के कारण उन्होंने मौके पर पत्थर डालकर मौके पर चालू रास्ते को बंद कर दिया है जिसकी शिकायत अपीलंटस ने पुलिस थाना जवाजा में की है और उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन हेतु नहीं है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 को राजस्व रिकार्ड में रास्ता तरमीम करने के आदेश पारित करने चाहिये थे किन्तु अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअदांज कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 11 ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् है । आराजी खसरा नंबर 492, 493, 494 व 495 रेस्पो0 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की

आराजियात है जिस पर निरन्तर कब्जा काश्त रेस्पो0 का चला आ रहा है। उपरोक्त भूमियों पर बन्नेसिंह पुत्र उदयसिंह, मोहनसिंह पुत्र उदा, सुवासिंह पुत्र राजूसिंह, हुकमसिंह पुत्र राजूसिंह व अन्य ने अनाधिकृत रूप से जबरन अप्रार्थीगण की इच्छा के विपरीत गैर कानूनी रूप से देवी देवताआं की मूर्तियां स्थापित करके, अतिक्रमण कर उक्त आम रास्ता व निजी रास्त निकालने पर उतारू है । इस संबंध में कई बार पुलिस थाना जवाजा ने प्रार्थीगण को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पाबंद किया है । इसके बावजूद प्रार्थीगण रेस्पो0 की उपरोक्त आराजियात को हड़पने की नियत से आम रास्ता निकालने पर आमादा है। अपीलांटस ने गलत व मिथ्या कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि रेस्पो0 की आराजियात के पास से आम रास्ता नहीं है । अपीलांटस मोहनसिंह, बन्नासिंह, सुवासिंह, हुकमसिंह व अन्य की भूमियां रेस्पो0 की भूमि के आस–पास नहीं है लेकिन रेस्पो0 की खातेदारी की भूमि में जबरन उनकी इच्छा के विरूद्ध आम रास्ता निकालने पर आमादा है जबकि रास्ते के संबंध में सिविल वाद विचाराधीन है । अपीलांटस की आराजी में आवागमन हेतु आम रास्ता पहले से ही मौजूद है जिससे अपीलांटस आवागमन हेतु नवीन रास्ते का अनुतोष प्राप्त नही कर सकते है । अधी0न्याया0 ने निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की है जिसमें तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है कि रेस्पो0 की आराजियात में किसी प्रकार का कोई रास्ता मौके पर मौजूद नही है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों परिपेक्ष्य में प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । प्रार्थीगण/अपीलांटस ने स्वंय की खातेदारी आराजियात खसरा संख्या 498 से 500, 502, 503, 507 से 509, 514, 554 से 556, 558, 559, 528 से 531, 549, 551, 533/1, 533/2, 534, 535/1, 544 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण/रेस्पो0 की आराजी खसरा संख्या 495, 494, 493, 492 में से रास्ते का अनुतोष चाहा था । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने विवादित आराजियात के संबंध में मौका रिपोर्ट तलब की है । नायब तहसीलदार, ब्यावर ने रिपोर्ट दिनांक 18.5.2017 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि " प्रार्थीगण द्वारा जिन खसरा नंबरान में से रास्ते की मांग की है, वह सभी लगभग खातेदारी भूमियां है जो अन्य व्यक्तियों की है । प्रार्थी के खेतों में व आवासीय मकान में आने जाने हेतु रिकार्डेड रास्ता पूर्व से ही चला आ रहा है जो खसरा नंबर 411 आबादी, 246 किस्म सिवायचक रास्ता, 466 आबादी, 1177 सिवायचक किस्म गै0मु0सड़क से होकर जाता है । उक्त रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमियों में पहुंचने के लिए रिकार्डेड रास्ता मौजूद है । अतः प्रार्थीगण को किसी अन्य की खातेदारी भूमियों में से रास्ता दिए जाने का कोई औचित्य नहीं है। " उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/अपीलांटस की खातेदारी आराजियात एवं आवासी मकान में आवागमन हेतु पूर्व से रास्ता मौजूद है । जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता नहीं है । धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होने तथा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने पर ही रास्ते का अनुतोष प्रदान किया जा सकता है । हस्तगत प्रकरण में अपीलांटस की आराजियात में आवागमन हेतु पहले से खसरा

नंबर 411 आबादी, 246 किस्म सिवायचक रास्ता, 466 आबादी, 1177 सिवायचक किस्म गै0मु0सड़क से होकर रास्ता उपलब्ध है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 खारिज किया है जिसमें हमे कोई अनियमिता प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.5.2017 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 31.8.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर